- बी आर जी एफ अन्तर्गत ‘‘अपना घर’’ आवास योजना (क्लिक करें)
- इंदिरा आवास योजना (क्लिक करें)
- स्वर्ण जयंती ग्राम स्व रोजगार योजना (क्लिक करें)
- कपिलधारा उपयोजना (रा ग्रा रो गा स्कीम) (क्लिक करें)
- नंदन फलोद्यान (क्लिक करें)
- भूमि शिल्प (क्लिक करें)
- निर्मल वाटिका उपयोजना (क्लिक करें)

¼ jkd's flg ½
e-dk;-vf/k-] ft-ipk- flouh

ch-vkj-th-,Q- ;kstukrxZr **viuk ?kj** vkokl fuekZ.k

;kstuk dk Lo#i %&

बी.आर.जी.एफ. योजनांतर्गत निर्मित आवासों को ''अपना घर'' कहा जाता है। आवास निर्माण हेतु अनुदान वर्ष 2007–08 में रू.25 हजार प्रति हितग्राही था । वर्ष 2008–09 एवं 2009–10 में प्रति हितग्राही रू. 35 हजार था । वर्ष 2010–11 में रू.45 हजार प्रति हितग्राही हो गया है ।

ik=rk dh 'krsZ %&

(1) हितग्राही केवल अ.जा एवं अ.ज.जा. के ही होंगे ।

(2) हितग्राही का नाम बी.पी.एल.सर्वे ग्राम पंचायत में भवन विहीन की संधारित/प्रकाशित प्रतीक्षा सूची की प्राथमिकता अनुसार हितग्राही का चयन किया जाता है । योजनांतर्गत हितग्राही का चयन ग्राम पंचायत द्वारा ग्राम पंचायत में संधारित/प्रकाशित भवन विहीन प्राथमिकता सूची के अनुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के हितग्राहियों का चयन किया जाता है। अन्य कार्यवाही इंदिरा आवास योजना के दिशा निर्देशों के अनुरुप की जाती है।

;kstuk ds rgr ns; ykHk %&

योजनांतर्गत प्रति आवास हेतु रु. 35000/– की राशि निर्धारित है जो कि शासन स्तर से ग्राम पंचायत के खाते में उपलब्ध कराई जाती है। एस.सी./एस.टी. के हितग्राहियों को लाभ दिया जाता है।

vkosnu fdls iLrqr fd;k tkrk gS %&

ग्राम पंचायत में प्रस्तुत कर कार्यवाही पूर्ण की जाती है।

xr o"kZ@bl o"kZ dk y{; %&

गत वर्ष का लक्ष्य 452 था तथा इस वर्ष का लक्ष्य 428 प्रस्तावित किया जा रहा है।

¼ jkds'k flag ½
eq-dk;Z-vf/k-] ft-i-pk- flouh

bfnjk vkokl ;kstuk

ik=rk dh 'krsZ &

हितग्राही अ.जा./अ.ज.जा./पि.वर्ग/अल्प संख्यक के होने वर्ष 2002–03 के बी.पी.एल.सर्वे द्वारा हितग्राहियों का चयन किया जाता है एवं ग्राम पंचायत के भवन में प्रकाशित प्रतीक्षा सूची में प्रथम हितग्राही चयन के अनुसार प्राथमिकता दी जाती है ।

;kstuk dk Lo:i &

गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले आवास हीन हितग्राहियों को आवास सुविधा उपलब्ध कराना।

;kstuk ds rgr ns; ykHk &

आवासहीन बीपीएल परिवारों को निवास करने हेतु मकान उपलब्ध कराना, तथा मकान जीर्ण–शीर्ण होने पर आवास उन्नयन के द्वारा मकान मरम्मत हेतु सहायता राशि प्रदान करना।

;kstuk gsrq vkosnu dk rjhdk ,oa mlds lkFk vko';d nLrkost &

हितग्राही का आवेदन ग्राम पंचायत स्तर पर या जनपद पंचायत स्तर पर या सीधे जिला पंचायत कार्यालय में लगा सकता है। दस्तावेज में जाति प्रमाण पत्र, मूल निवासी प्रमाण पत्र, बीपीएल कार्ड आदि यदि विकलांग है तो विकलांगता प्रमाण पत्र, विधवा, परित्यकता होने पर आव यक प्रमाण पत्र लगाना अनिवार्य होगा।

vkosnu fdlds iLrqr djuk gS &

ग्राम पंचायत/जनपद पंचायत/जिला पंचायत स्तर पर आवेदन प्रस्तुत किया जा सकता है।

xr o"kZ @bl o"kZ dk y{; &

o"kZ	y{;	uohu	mUu;u
2008–09	923	733	92
2009–10	1788	1420	368

आवेदन पत्र के लिए यहाँ क्लिक करें ।

¼ jkds'k flag ½
eq-dk;Z-vf/k-] ft-ia-pk- flouh

Lo.kZ t;arh xzke Lojkstxkj ;kstuk

ik=rk dh 'krZ &

एस.जी.एस.वाय. योजना के दिशा निर्देश अनुसार समूह एवं व्यक्तियों को पात्रता अनुसार चयनित किया जाकर लाभान्वित किया जाता है । योजना हेतु आवेदन का तरीका एवं उसके साथ आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने हेतु संबधित जनपद पंचायत से संपर्क किया जाता है ।

;kstuk dk Lo#i &

बी.पी.एल.परिवारों के सदस्यों को योजना के अंतर्गत समूह या व्यक्तिगत रूप से ।

;kstuk ds rgr n; ykHk &

बी पी एल समूह एवं स्वरोजगारियो को रोजगार उपलब्ध कराना ।

vkosnu fdl s iLrqr fd;k tkrk gS &

संबंधित जनपद पंचायत मे प्रस्तुत किया जाता है ।

xr o"kZ@bl o"kZ dk y{; &

वर्ष 09–10. का लक्ष्य 929.70 लाख वर्ष 10–11 का लक्ष्य 1022

dfiy/kkjk mi;kstuk ¼egk-xk-jk-xk-jk t-xkjVh Ldhe&e-i-½

ik=rk dh 'krZ &

अ.जा./अ.ज.जा./इंदिरा आवास के हितग्राही/भूमि सुधार के हितग्राही गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लघु एवं सीमांत कृषक

;kstuk dk Lo:i &

हितग्राही के खेत में सिंचाई कूप, खेत तालाब, लघु तालाब एवं स्टापडेम/चेकडेम का निर्माण कर सिंचाई क्षमता बढ़ाना तथा भूमिगत जल स्तर में वृद्धि करना ।

;kstuk ds rgr ns; ykHk &

योजनान्तर्गत उपयंत्री द्वारा स्थल निरीक्षण कर प्राक्कलन तैयार किया जावेगा । प्राक्कलन की भातप्रति ात लागत राि ा अनुदान के रूप में देय होगी ।

योजना हेतु आवेदन का तरीका एवं आवेदन के साथ लगने वाले आव यक दस्तावेज – योजना में लाभ हेतु हितग्राही को संबंधित ग्राम पंचायत में आवेदन देना होगा एवं आवेदन के साथ भूमि के खसरा की प्रति/भू अभिलेख ऋण पुस्तिका भाग–1, धारित कुल भूमि का रकबा, खसरा नं. की जानकारी प्रस्तुत करना होगा ।

vkosnu fdls izLrqr djuk gS &

आवेदन पत्र संबंधित ग्राम पंचायत के सरपंच/सचिव को प्रस्तुत करना होगा।

xr o"kZ@bl o"kZ dk y{; &

शासन द्वारा प्रति ग्राम पंचायत प्रतिवर्ष 25 कार्य का लक्ष्य दिया गया है। जिले में कपिलधारा कूप के कार्य अधिक मात्रा में अपूर्ण होने के कारण गति वर्ष कोई लक्ष्य नहीं दिया गया ।

आवेदन पत्र के लिए यहाॅ क्लिक करें ।

unnu Qyks|ku ¼egk-xk-jk-xk-jk t-xkjVh Ldhe&e-i-½

ik=rk dh 'krs &

अ.जा./अ.ज.जा./इंदिरा आवास के हितग्राही/भूमि सुधार के हितग्राही गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले ।

;kstuk dk Lo:i &

पात्र एवं चयनित हितग्राही की स्वामित्व वाली निजी भूमि पर एकल/सामूहिक गतिविधि के रूप में उद्यानिकी प्रजाति के फलोद्यान विकसित करना ।

;kstuk ds rgr ns; ykHk &

योजनान्तर्गत उपयंत्री द्वारा स्थल निरीक्षण कर खण्ड उद्यानिकी वृक्षारोपण/कृशि उद्यानिकी वृक्षारोपण में से किसी एक वृक्षारोपण पद्धति के आधार पर प्राक्कलन तैयार किया जावेगा, प्राक्कलन की भातप्रति ात लागत राि ा अनुदान के रूप में देय होगी ।

;kstuk gsrq vkosnu dk rjhdk ,oa vkosnu ds lkFk yxus okys vko ;d nLrkost &

योजना में लाभ हेतु हितग्राही को संबंधित ग्राम पंचायत में आवेदन देना होगा एवं आवेदन के साथ भूमि के खसरा की प्रति/भू अभिलेख ऋण पुस्तिका भाग–1, धारित कुल भूमि का रकबा , खसरा नं. की जानकारी प्रस्तुत करना होगा ।

vkosnu fdls izLrqr djuk gS &

आवेदन पत्र संबंधित ग्राम पंचायत के सरपंच/सचिव को प्रस्तुत करना होगा।

xr o"kZ@bl o"kZ dk y{; &

शासन द्वारा प्रति ग्राम पंचायत औसतन 10 हेक्टेयर में फलोद्यान लगाने का लक्ष्य रखा गया है। यह एक वित्तीय वर्ष का लक्ष्य माना जावेगा ।

आवेदन पत्र के लिए यहॉ क्लिक करें ।

Hkwfef'kYi ¼egk-xk-jk-xk-jk-t-xkjVh Ldhe&e-i-½

ik=rk dh 'krsZ &

अ.जा./अ.ज.जा./इंदिरा आवास के हितग्राही/भूमि सुधार के हितग्राही गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले ।

;kstuk dk Lo:i &

पात्र एवं चयनित हितग्राही की कृशि भमि/कृशि योग्य पडत भूमि का समुचित उपयोग करते हुए उसमें इश्टतम उत्पादन प्राप्त करते हुए मिट्टी व जल का संरक्षण एवं संवर्धन करना ।

;kstuk ds rgr ns; ykHk &

योजनान्तर्गत उपयंत्री द्वारा स्थल निरीक्षण कर मेंढ बंधान हेतु प्राक्कलन तैयार किया जावेगा । प्राक्कलन की भातप्रति ात लागत राि ा अनुदान के रूप में देय होगी ।

;kstuk gsrq vkosnu dk rjhdk ,oa vkosnu ds lkFk yxus okys vko';d nLrkost &

योजना में लाभ हेतु हितग्राही को संबंधित ग्राम पंचायत में आवेदन देना होगा एवं आवेदन के साथ भूमि के खसरा की प्रति/भू अभिलेख ऋण पुस्तिका भाग–1, धारित कुल भूमि का रकबा , खसरा नं. की जानकारी प्रस्तुत करना होगा ।

vkosnu fdls izLrqr djuk gS &

आवेदन पत्र संबंधित ग्राम पंचायत के सरपंच/सचिव को प्रस्तुत करना होगा ।

xr o"kZ@bl o"kZ dk y{; &

शासन द्वारा प्रति ग्राम पंचायत एक वित्तीय वर्ष में न्यूनतम 25 हितग्राहियों का चयन कर उनके खेत में कार्य कराने का लक्ष्य दिया गया है। यह लक्ष्य प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिये लागू होगा ।

आवेदन पत्र के लिए यहॉ क्लिक करें ।

¼ jkds'k flag ½
e-dk;Z-vf/k-] ft-i-pk- flouh

fuely okfVdk mi;ktuk ¼egk-xk-jk-xk-jkt-xkjVh Ldhe&e-i-½

ik=rk dh 'krs &

अ.जा./अ.ज.जा./इंदिरा आवास के हितग्राही/भूमि सुधार के हितग्राही गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले ।

;ktuk dk Lo:i &

इस योजना में हितग्राही के मकान के पीछे खाली पडी बाडी में स्वच्छ भौचालय के साथ एक जोडा लीचिंग पिट जैविक खाद्य हेतु तैयार करना इसके पास से लगे हुए भू–भाग में न्यूनतम 05 बहुउपयोगी/फलदार पौधे लगाना । इससे हितग्राही द्वारा स्वच्छता कार्यक्रम के प्रति रूचि जागृत होगी तथा फलदार पौधों से फल प्राप्त होने पर पोश्टिक आहार मिलेगा । आजीविका सुदृढ होगी । योजना में लाभ हेतु हितग्राही को संबंधित ग्राम पंचायत में आवेदन देना होगा । आवेदन के साथ भूमि के खसरा की प्रति एवं नक्शा (यदि उपलब्ध हो तो) लगाना होगा । चूकि कार्य बाड़ी में होना है अतः प्रावधान किया गया है कि हितग्राही की निजि भूमि या उससे लगी हुई भाासकीय भूमि में भी कार्य किया जा सकता है।

;ktuk d rgr n; ykHk &

योजनान्तर्गत उपयंत्री द्वारा स्थल निरीक्षण कर प्राक्कलन तैयार किया जावेगा । प्राक्कलन की शत प्रतिशत लागत राशि अनुदान के रूप में देय होगी ।

vkonu fdl iLrr djuk g &

आवेदन पत्र संबंधित ग्राम पंचायत के सरपंच/सचिव को प्रस्तुत करना होगा ।

xr o"k@bl o"k dk y{; &

शासन द्वारा प्रति ग्राम पंचायत एक वित्तीय वर्श में न्यूनतम 25 हितग्राहियों की बाड़ी में कार्य किया जा सकता है। यह लक्ष्य प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिये लागू होगा ।

आवेदन पत्र के लिए यहाँ क्लिक करें ।

¼ jkd'k flg ½
e-dk;-vf/k-] ft-ipk- flouh